



महानगर लखनऊ-226006

फोन : 0522-2337452

फैक्स नं०: 0522-2337453

सीयूजी : 9454400167

Email:sec1pachq.lu@up.gov.in

पीएसी मुख्यालय उत्तर प्रदेश

पत्रांक:पीएसी-1-152(2)-2024/2419
दिनांक: अगस्त 30 2024

आदेश

अपर पुलिस महानिदेशक, "स्थापना" उ0प्र0 के पत्र संख्या:दस-395/2022(अधियाचन) दिनांक 22.08.2024 द्वारा प्राप्त उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-तीन-5(01)/2024 दिनांक 16.08.2024 के साथ संलग्न सूची में अंकित उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली, 2015 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्तों को छोड़ते हुये मुख्य आरक्षी पीएसी के पद पर पदोन्नति हेतु चयन वर्ष 2024 की रिक्ति के सापेक्ष कुल 500 आरक्षी उपयुक्त पाये गये हैं। इनमें से माह जुलाई 2024 की 60 रिक्तियों के सापेक्ष तात्कालिक प्रभाव से निम्नलिखित आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस/बिगुलर/डी0आर0 को उनकी वर्तमान नियुक्ति की वाहिनी/जनपद/इकाई में मुख्य आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	वरिष्ठता क्रमांक	पीएनओ	कार्मिक का नाम	पिता का नाम	नियुक्ति स्थान	चयन वर्ष
1	2	3	4	5	6	7
1	64	920550803	रविन्द्र कुमार	श्री महावीर सिंह	कुशीनगर	2024
2	65	930730129	प्रमोद कुमार यादव	श्री घासीराम यादव	ललितपुर	2024
3	66	930510727	अमरेन्द्र सिंह	याम सुन्दर सिंह	12वीं फतेहपुर	2024
4	75	940610664	राजेन्द्र सिंह	प्रकाश चन्द	सोनभद्र	2024
5	82	960770164	संजीव कुमार शाक्य	रामेश्वर दयाल	45वीं अलीगढ़	2024
6	91	960730388	समय सिंह	रामकिशन	फिरोजाबाद	2024
7	96	970750181	वीरप्रताप सिंह	रणवीर सिंह	कन्नौज	2024
8	107	980480931	विरेन्द्र प्रताप सिंह	श्री चन्द्र प्रताप सिंह	कमि० कानपुर नगर	2024
9	111	980451003	लाल बिहारी शर्मा	श्री रामाकान्त शर्मा	वाराणसी कमिश्नरेट	2024
10	113	980651591	विरेन्द्र कुमार	चिन्तामणि	हरदोई	2024
11	118	980660065	राम बहादुर	राजपति यादव	48वीं सोनभद्र	2024
12	127	980590052	सन्तोष कुमार	श्री पुत्तू लाल यादव	कानपुर नगर कमिश्नरेट	2024
13	131	980591299	राजेश कुमार दावरिया	श्री लालाराम	मथुरा	2024
14	140	980751350	रघुराज सिंह	श्री सत्यप्रकाश	कानपुर देहात	2024
15	142	980640387	ओम प्रकाश यादव	स्व० श्री सागर यादव	आजमगढ़	2024
16	148	980650905	कालीचरण	श्री गंगा सिंह	मैनपुरी	2024

(Signature)



17	151	980441174	सूर्य प्रकाश यादव	स्व0 श्री नार्थे यादव	देवीपाटन परिक्षेत्र गोण्डा	2024
18	158	980490701	सन्तोष कुमार	श्री मोतीलाल	प्रयागराज	2024
19	164	980591143	जितेन्द्र कुमार सिंह	राम शंकर सिंह भदौरिया	पीटीसी मुरादाबाद	2024
20	179	980740415	जगदीश बौद्ध	श्री राम मिलन	26वीं गोरखपुर	2024
21	181	980740079	सुनील कुमार यादव	बीर बहादुर यादव	34वीं वाराणसी	2024
22	182	980710151	विनोद कुमार	श्री छोटेलाल	कौशाम्बी	2024
23	184	980710874	अजवेन्द्र कुमार	राजेन्द्र कुमार शर्मा	पीटीसी मुरादाबाद	2024
24	191	980481644	अली अब्बास	श्री अतहर अली	कमि0 कानपुर नगर	2024
25	198	000740021	योगेन्द्र कुमार	श्री मेवा राम	मेरठ	2024
26	200	010670040	शिव कुमार	श्री अयोध्या प्रसाद	फतेहपुर	2024
27	201	010580019	प्रकाश सिंह	स्व0आदित्य नारायण सिंह	जनपद बाराबंकी	2024
28	212	030480546	रविदत्त कुमार	श्री राजकुमार	09वीं मुरादाबाद	2024
29	219	030471173	रत्नेश कुमार	घनश्याम	लखनऊ कमिश्नरेट	2024
30	220	030471131	नीरेन्द्र सिंह यादव	श्री मलखान सिंह	कन्नौज	2024
31	222	030750265	महेन्द्र सिंह	श्री राधे श्याम	हाथरस	2024
32	227	030581210	अनिल कुमार	अनेक पाल सिंह	अलीगढ़	2024
33	232	030680193	कमलेश कुमार	श्री बिहारी लाल यादव	कमि0 कानपुर नगर	2024
34	233	030470079	सुदर्शन यादव	मुन्ना यादव	08वीं बरेली	2024
35	235	030550621	अंकित मलिक	श्री राजेन्द्र सिंह	06 मेरठ	2024
36	236	030550647	प्रशान्त कुमार	श्रीपाल सिंह	सहारनपुर	2024
37	237	030470369	सत्यवीर सिंह	श्री सीताराम	बदायूँ	2024
38	239	030670264	शैलेश कुमार	श्री शिवनाथ राम	39वीं मीरजापुर	2024
39	240	030680904	सुभाष कुमार	तुलसी राम	मीरजापुर	2024
40	241	030740424	मुकेश कुमार	मसीचरण	पीलीभीत	2024
41	243	030450136	भोला सिंह	श्री ध्रुवदेव सिंह	39वीं मीरजापुर	2024
42	244	030740365	सुनील कुमार	मलखान सिंह	शाहजहाँपुर	2024
43	245	030770225	देवेश कुमार	श्री मुन्शी सिंह	कमि0 कानपुर नगर	2024
44	247	030720392	गिरीश कुमार	श्री श्रीकृष्ण राम	वाराणसी कमिश्नरेट	2024
45	249	030550966	सुभाष यादव	राम कुंवर यादव	34वीं वाराणसी	2024
46	250	030720839	ऋषिकेश सिंह	श्री रामजी सिंह	36वीं वाराणसी	2024
47	251	030730250	विनोद कुमार	श्री रामजी लाल शर्मा	उ0प्र0 पुलिस अकादमी मुरादाबाद	2024
48	252	030720741	शेर बहादुर सिंह	राज नारायण सिंह	48वीं सोनभद्र	2024
49	253	030551145	आफताब कैसर	श्री शमीम इलीयास	सोनभद्र	2024
50	255	030710173	राकेश कुमार सिंह	शिव दुलारे सिंह	04वीं प्रयागराज	2024
51	257	030710782	आनन्द प्रकाश	राम खेलावन	झाँसी	2024
52	259	030540792	हरिओम शरन	श्री भाईलाल	39वीं मीरजापुर	2024
53	261	030540978	श्यामवीर सिंह	श्री छेदा लाल	कमि0 कानपुर नगर	2024
54	263	030710160	अमर सिंह	संतलाल	32वीं लखनऊ	2024
55	264	030540011	रविन्द्र कुमार	श्री धर्म सिंह	सहारनपुर	2024
56	265	030710333	कृष्ण पाल	श्री राम कुमार	10वीं बाराबंकी	2024
57	266	030480386	सुनील कुमार	चन्दन सिंह	44वीं मेरठ	2024
58	270	030540095	अनिल कुमार	श्री बलराम सिंह	शामली	2024

Handwritten signature



59	271	030590087	अजय कुमार पुष्कर	नेकराम	37वीं कानपुर	2024
60	273	030590364	अमर बहादुर सिंह	श्री सोमनाथ सिंह	कौशाम्बी	2024

2- उक्त आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस अपने वर्तमान नियुक्ति स्थान वाहिनी/जनपद/इकाई में पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। यदि किसी कर्मी के नियुक्ति का स्थान स्थानान्तरण के कारण परिवर्तित हो गया हो तो उक्त कर्मी को उसके वर्तमान नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा तथा इस मुख्यालय को सूचित किया जायेगा।

3- पदोन्नत मुख्य आरक्षियों को पदोन्नति की तिथि से 2 वर्ष के लिए परीक्षा पर रखा जायेगा, जिसे उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली, 2015 के अनुसार बढ़ाया जा सकता है। परीक्षा अवधि के दौरान परीक्षाधीन व्यक्ति से ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करने की अपेक्षा की जाएगी जैसा कि विभागाध्यक्ष द्वारा विहित किया जाय। प्रशिक्षण के सम्बन्ध में पृथक से अवगत कराया जायेगा।

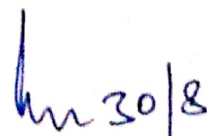
4- पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित आरक्षियों से संलग्न प्रारूप (क) में स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र लेकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शासनादेश संख्या: 13/21/89-का-1-1997 दिनांक 28.05.1997 के खण्ड-2 में दी गयी निम्नलिखित 03 परिस्थितियाँ विद्यमान न हों:-

- (क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है।
- (ख) यदि कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिये आरोप-पत्र जारी किया जा चुका है।
- (ग) यदि आपराधिक आरोप के आधार पर कार्मिक के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है अर्थात् न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है।

5- यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा- पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर-4 में अंकित परिस्थितियाँ विद्यमान नहीं हैं तो सम्बन्धित आरक्षी पीएसी/ सशस्त्र पुलिस को मुख्य आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर-4 में अंकित परिस्थितियाँ विद्यमान पायी जाती हैं तो सम्बन्धित कर्मी के पदोन्नति के आदेश का क्रियान्वयन न कराया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों सहित आख्या पीएसी मुख्यालय को उपलब्ध कराते हुये निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

6- यदि सम्बन्धित आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र में अंकित कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया हुआ पाया जाता है तो सम्बन्धित आरक्षी के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराये जाने की कार्यवाही उस वाहिनी/ जनपद/इकाई द्वारा की जायेगी, जिस वाहिनी/जनपद/इकाई में सम्बन्धित आरक्षी द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सहित सम्बन्धित कर्मी को पदावनत किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु सम्पूर्ण तथ्य/अभिलेख पीएसी मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

संलग्नक: घोषणा-पत्र


 (आशुतोष कुमार)
 पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी,
 उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि निम्नलिखित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- पुलिस आयुक्त लखनऊ/गौतमबुद्धनगर/कानपुर/ वाराणसी/आगरा/गाजियाबाद/प्रयागराज
- 2- समस्त सेनानायक, पीएसी वाहिनी, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 3- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक उत्तर प्रदेश।
- 4- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एस0टी0एफ0 उ0प्र0 लखनऊ।
- 5- पुलिस अधीक्षक, ए0टी0एस0 उ0प्र0 लखनऊ।
- 6- पुलिस अधीक्षक, (प्रशिक्षण एवं सुरक्षा) सुरक्षा विभाग उ0प्र0 लखनऊ।
- 7- सेनानायक, एस0डी0आर0एफ0 उ0प्र0 लखनऊ।
- 8- पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निवारण संगठन उ0प्र0 लखनऊ।
- 9- पुलिस अधीक्षक, सतर्कता अधिष्ठान उ0प्र0 लखनऊ।
- 10- पुलिस अधीक्षक, डा0 भीमराव अम्बेडकर अकादमी मुरादाबाद।
- 11- पुलिस अधीक्षक, पी0टी0सी0 सीतापुर।
- 12- पुलिस अधीक्षक, तकनीकी सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
- 13- पुलिस अधीक्षक, पी0टी0एस0 गोरखपुर।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष पुलिस विभाग उत्तर प्रदेश।
- 2- अपर पुलिस महानिदेशक, "स्थापना" उत्तर प्रदेश।
- 3- समस्त अपर पुलिस महानिदेशक जोन उत्तर प्रदेश।
- 4- समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, परिक्षेत्र उ0प्र0 लखनऊ।
- 5- समस्त पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी जोन उत्तर प्रदेश।
- 6- समस्त पुलिस उप महानिरीक्षक, पीएसी अनुभाग उत्तर प्रदेश।

स्वघोषणा-पत्र

मैं.....(नाम/पदनाम व
पीएनओ)..... पुत्र..... निवासी
..... थाना..... जनपद..... वर्तमान में (जनपद/इकाई का नाम) नियुक्त हूँ तथा प्रशिक्षण सत्र
..... का आरक्षी हूँ। मैं प्रमाणित करता हूँ कि:-

(क) "मेरे विरुद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली, 1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित नहीं है तथा कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही वर्तमान में निलम्बित हूँ।"

2- उपरोक्त घोषणा में यदि मेरे द्वारा कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरी पदोन्नति निरस्त कर मुझे मूल पद पर पदावनत करते हुये मेरे विरुद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

3- यह घोषणा-पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशहवास में बिना किसी दबाव के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर

(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)

नियुक्ति स्थान/ दिनांक

यदि सम्बन्धित आरक्षी के विरुद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली'1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित है अथवा कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन है अथवा निलम्बित है तो उसका पूर्ण विवरण उसके द्वारा नीचे अंकित किया जायेगा:-

(1) वर्तमान में निलम्बित है तो उसका निलम्बन आदेश/ दिनांक तथा कारण

.....

(2) मेरे विरुद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली, 1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत जनपद/इकाई में कार्यवाही लम्बित है, जिसमें दिनांक को आरोप-पत्र दिया गया है।

(3) मेरे विरुद्ध
मु0अ0सं0.....धारा.....थाना.....
जनपद..... में लम्बित है, जिसमें दिनांक को स्थानीय पुलिस अथवा जॉच एजेन्सी द्वारा आरोप-पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग वर्तमान में स्तर पर चल रहा है।

प्रमाणित

जनपद/इकाई के प्रभारी

नाम/पदनाम की मुहर

नोट:- स्वघोषणा-पत्र में अंकित जो प्रस्तर अथवा उप प्रस्तर लागू न हो उसे स्पष्ट रूप से काट (X) दिया जाय।